न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– रिछपाल सिंह बुरड़क आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 117/24 (225 आर.टी.एक्ट)
जीसीएमएस नम्बर :– 2024/336

उनवान

श्रीमती हरदेई पुत्री स्व. झम्मन, जाति माली निवासी बस स्टैण्ड के पास कस्बा नगर तहसील नगर जिला डीग।

.....सायला/अपीलान्ट

बनाम

1. कैलाश पुत्र बुद्धीलाल जाति ब्राह्मण
2. मदन पुत्र घनश्याम जाति तेली
3. जगदीश प्रसाद पुत्र बुद्धीलाल जाति ब्राह्मण
4. नत्थीलाल पुत्र बुद्धीलाल जाति ब्राह्मण
5. राजू पुत्र रामचंद जाति तेली
6. मंगल पुत्र लक्ष्छी जाति तेली

निवासी कस्बा नगर तहसील नगर जिला डीग।

7. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय डीग।
8. त्हसीलदार, तहसील नगर जिला डीग।

.....गैरसायलान/रेस्पोडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरुद्ध मु.स. 41/19 बउनवानी श्रीमती हरदेई बनाम कैलाश वगै. में पारित निर्णय दिनांक 11.09.2024 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नगर (डीग), प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री पंकज कुमार उपस्थित।
2. वकील रेस्पोडेन्ट सं. 1,3,4 श्री कृष्ण कुमार सिंघल उपस्थित।
3. वकील रेस्पोडेन्ट सं. 2,5,6 श्री सोनीराम शर्मा उपस्थित।

निर्णय दिनांक : 05.06.2026

1. अपीलांट ने यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नगर (डीग) द्वारा मु.स. 41/19 बउनवानी श्रीमती हरदेई बनाम कैलाश वगै. में पारित निर्णय दिनांक 11.09.2024, प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

2. प्रकरण में संक्षिप्त एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट/सायला ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने दावे के साथ एक प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय से पेश किया था कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 622/0.17 स्थित कस्बा नगर, तहसील नगर के साबिक खसरा नम्बरा 505 एवं 503 मिन थे। विवादित आराजी सायला की पैतृक आराजी है। किन्तु गैरसायलान/रेस्पोडेन्ट्स का विवादित आराजी के कुछ हिस्से पर दर्ज रिकार्ड है जो विधि विरुद्ध व मौका के खिलाफ है। गैरसायलान राजस्व रिकार्ड में हो रहे गलत इन्द्राजात के आधार

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

पर विवादित आराजीयात को दीगर जगह रहन–बय–मुन्तकिल करना चाहते थे। इस कारण सायला/अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया कि ताफैसला मुकदमा अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध गैरसायलान इस आशय की जारी की जावे कि वह विवादित आराजी में किसी भी प्रकार की मदाखलत मजाहमत नही करें, निर्माण नही करें, रहन–बय–मुन्तकिल न करें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गई। तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 11.09.2024 को निर्णय पारित करते हुए सायला का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट्स को जरिये समन तलब किया गया। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री पंकज कुमार एवं रेस्पोडेन्ट सं. 1,3,4 की ओर से अधिवक्ता श्री कृष्ण कुमार सिंघल एवं रेस्पोडेन्ट सं. 2,5,6 की ओर से अधिवक्ता श्री सोनीराम शर्मा ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर प्राप्त की गयी।

4. विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस में अपने अपील मीमों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि विवादित आराजी में से कुछ हिस्से का ही भूमि रुपान्तरण हुआ है। आज भी विवादित आराजी खसरा नम्बर 622 का अधिकांश भाग कृषि भूमि के रुप में दर्ज है। इस बाबत् समस्त रिकार्ड अपीलान्टा ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किये किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना रिकार्ड का अवलोकन किए आज्ञा पारित कर दी जो काबिल निरस्तनीये है। अधीनस्थ न्यायालय ने आज्ञा पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि अपीलान्टा मृतक झम्मन की वारिस है। इस बाबत किसी प्रकार का कोई भी इंकार रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने जबाब या बहस में नहीं किया है। विवादित आराजी गलत रुप से रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज हो गई है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्तनीये है। अपीलान्ट ने विवादित आराजी पर अपने हकों के निर्धारण के लिये दावा किया है। धारा 212 के प्रार्थना–पत्र पर विवादित आराजी को खुर्द–बुर्द होने से बचने की जिम्मेदारी अधीनस्थ न्यायालय की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर न करते हुए आज्ञा पारित की है जो काबिल निरस्तनीय है। विवादित आराजी आबादी में संपरिवर्तित हो चुकी है एवं विक्रय भी की जा चुकी है। विवादित आराजी कुल 17 ऐयर है जिसमें से केवल 3 एयर भूमि ही संपरिवर्तित हुई है तथा 14 एयर भूमि अभी भी कृषि भूमि के रुप में है। विवादित आराजी में से 3 एयर रकबा जिसकी डिक्री करवायी है वही संपरिवर्तित हुई है। प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. के द्वारा सम्पत्ति को संरक्षित किया जाता है। उक्त विवादित आराजी अवाप्ती भी हो चुकी है, 5 बीघा में से कुल अवाप्त हुआ है लेकिन बचा हुआ रकबा है जो खसरा नम्बर 622 है। विवादित आराजी के सम्बन्ध में अन्य किसी वारिस ने कोई आपत्ति नहीं की है। रेस्पोडेन्ट ने गलत दावा डिक्री कराया है। इसलिए अस्थाई निषेधाज्ञा कन्फर्म किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस के अन्त में निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.09.2024 को निरस्त किया जावे।

6. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1,3,4 ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 622/0.17 वाके कस्बा नगर था जो साबिक आराजी ख.न. 503, 504, 430, 505 से मिलकर बना है, जो सिवायचक मकबूजा सरकार भूमि थी जिसमें से 0.03 ऐयर भूमि न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई कैम्प

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

नगर द्वारा बुद्धिलाल के नाम डिक्री से आई थी। जिनकी मृत्यु के बाद बहैसियत वारिसान बुद्धिलाल गैरसायलान के नाम विरासतन दर्ज हुई, इसी प्रकार शेष 0.04 एयर रकबा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नगर द्वारा मुकदमा उनवानी जगदीश प्रसाद वगै. बनाम राज. सरकार वगै. मु.न. 168/07 के द्वारा जरिये डिक्री 11.10.2007 के द्वारा रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज हुई। अपीलान्ट द्वारा विवादित आराजी पप्पू की आराजी बताई गई है एवं सजरा पेश किया गया है किन्तु सजरा में हरदेई का नाम नहीं है। उक्त दावा घोषणा का है तो सभी के वारिसान को पक्षकार बनाना पड़ेगा। अपीलान्ट ने केवल मौखिक ही कहा है कि अपीलान्ट पप्पू की समस्त आराजी की वारिस है जो विधिसम्मत नहीं है। अपीलान्ट ने अन्य पक्षकारान को अपील में भी पक्षकार नहीं बनाया एवं न ही दस्तावेज पेश किए है। अपीलान्ट का विवादित आराजी खसरा नम्बर से कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है क्योंकि यह सिवायचक है। विवादित आराजी 90–बी होने के बाद नगर पालिका के नाम दर्ज हो चुकी है तो राजस्व न्यायालय में पोषणीय नहीं है। यदि हरदेई पप्पू की वारिस है तो भी इस बहुत कम रकबा मिलता है जो अवाप्ति में सड़क में चला गया। उक्त विवादित आराजी का पप्पू ने स्वयं ने मुआवजा लिया है तथा शेष आराजी का रेस्पोडेन्ट सं. 2,5,6 को बेचान कर दिया। वर्तमान में सम्पूर्ण आराजी पर खसरा गिरदावरी पर कोई जिन्स दर्ज नहीं है। यह कृषि के उपयोग्य में नही आ रही है। विवादित आराजी में मात्र $1\frac{1}{2}$ बिस्वा पर लगान दर्ज है जो रेस्पोडेन्ट 2,5,6 को विक्रय हो गयी। विवादित आराजी दिनांक 01.01.2002 को रेस्पोडेन्ट सं. 1, 3, 4 के पक्ष में रुपान्तरित हुई है, जिस पर रेस्पोडेन्ट के पुख्ता मकान बने हैं, 20 दुकान निर्मित हैं, कोई खाली रकबा नहीं है। इसके अलावा मथुरा देवी अन्य लोगों को भी आवासीय पट्टे मिले हैं, उनके व हमारे पट्टे को निरस्त कराने की कोई अपील नहीं की। इसलिए स्थगन नहीं दिया जा सकता है। सिविल न्यायालय में भी मुकदमा चला है उसमें भी पाबन्द किया है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 2,5,6 ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा सजरा गलत पेश किया गया है। हरदेई कौन है? उक्त सजरा में हरदेई का नाम अंकित नहीं है। विवादित आराजी पप्पू के जीवनकाल में ही सड़क में चली गयी थी तथा शेष आराजी पप्पू ने विक्रय कर दी। जिसमें से रकबा 1.5 बिस्वा रेस्पोडेन्ट सं. 2,5,6 के लिए विक्रय की है। अपीलान्ट यदि पप्पू की भूमि पर भी क्लेम करता है तो भी अन्य वारिसान को भी तरतीवी पक्षकार बनाना चाहिए था। लेकिन अन्य वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया गया है। विवादित आराजी 90–बी होने के बाद नगर पालिका के नाम दर्ज हो चुकी है। जिसकी कोई अपील नहीं की गयी। विवादित आराजी में मात्र 1 बीघा 1/2 बिस्वा पर लगान दर्ज है जो रेस्पोडेन्ट 2,5,6 को विक्रय हो गयी। विवादित आराजी पर रेस्पोडेन्ट्स के पुख्ता मकान बने हैं, 20 दुकान निर्मित हैं, कोई खाली रकबा नहीं है। इस प्रकार दावा पोषणीय नहीं है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत रुप से निर्णय पारित किया गया है। रेस्पोडेन्ट्स को पाबंद कराने का अधिकार नहीं है। उक्त प्रकरण Misjoinder की श्रेणी में आता है, इसलिए यह नहीं चलेगा। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. अपीलान्ट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 11.09.2024 के विरुद्ध न्यायालय हाजा में दिनांक 14.10.2024 को पेश की गई है, जो अन्दर मियाद है।

8. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अपील पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलान्ट सायला श्रीमती हरदेई ने अधीनस्थ न्यायालय में अपने द्वारा पेश वाद के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. के तहत पेश कर कथन किया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 622/0.17 स्थित कस्बा नगर जिसके बन्दोबस्त साबिक खसरा नम्बर 505 एवं 503 मिन थे। सायला ने परिवार को

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

सजरा अंकित किया है जिसमें पप्पू पुत्र परमा का पुत्र झम्मन एवं झम्मन के सुखपाल पुत्र नरेश पुत्र, निहाल पुत्र, हरदेई पुत्री अंकित किए हैं। विवादित आराजी सायला के बाबा पप्पू पुत्र परमा जाति माली निवासी कस्बा नगर, तहसील नगर की खातेदारी का आराजी थी जिसने अपने जीवन काल में पप्पू ने एक कुआ आराजी को सिंचाई को लिए बनाया तत्पश्चात् बाबा सायला ने विवादित आराजी अपने जीवनकाल में सायला को न्यारानूर काश्त करने के हेतु कब्जे काश्त में दे दी, जिसमें सायला के भाई सुखपाल, नरेश, निहाल सिंह सहमत थे, इस कारण सायला विवादित आराजियात सालिम पर बहैसियत खातेदार काश्तकार 40 साल से काबिज है, इसी आधार पर खातेदारी घोषणा कराकर राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज करापाने की अधिकारी है।

अपीलान्ट्स ने अपने अपील मीमों में मुख्य आधार यह लिया है कि विवादित आराजी में से कुछ हिस्से का ही भूमि रुपान्तरण हुआ है। आज भी विवादित आराजी खसरा नम्बर 622 का अधिकांश भाग कृषि भूमि के रुप में दर्ज है। इस बाबत् समस्त रिकार्ड अपीलान्टा ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किये किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना रिकार्ड का अवलोकन किए आज्ञा पारित कर दी जो काबिल निरस्तनीये है। अधीनस्थ न्यायालय ने आज्ञा पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि अपीलान्टा मृतक झम्मन की वारिस है। इस बाबत किसी प्रकार का कोई भी इंकार रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने जबाब या बहस में नहीं किया है। विवादित आराजी गलत रुप से रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज हो गई है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्तनीये है। अपीलान्ट ने विवादित आराजी पर अपने हकों के निर्धारण के लिये दावा किया है। धारा 212 के प्रार्थना–पत्र पर विवादित आराजी को खुर्द–बुर्द होने से बचाने की जिम्मेदारी अधीनस्थ न्यायालय की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर न करते हुए आज्ञा पारित की है जो काबिल निरस्तनीय है। विवादित आराजी आबादी में संपरिवर्तित हो चुकी है एवं विक्रय भी की जा चुकी है। विवादित आराजी कुल 17 ऐयर है जिसमें से केवल 3 एयर भूमि ही संपरिवर्तित हुई है तथा 14 एयर भूमि अभी भी कृषि भूमि के रुप में है। विवादित आराजी में से 3 एयर रकबा जिसकी डिक्री करवायी है वही संपरिवर्तित हुई है। प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. के द्वारा सम्पत्ति को संरक्षित किया जाता है। उक्त विवादित आराजी अवाप्ती भी हो चुकी है, 5 बीघा में से कुल अवाप्त हुआ है लेकिन बचा हुआ रकबा है जो खसरा नम्बर 622 है। विवादित आराजी के सम्बन्ध में अन्य किसी वारिस ने कोई आपत्ति नहीं की है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट ने गलत दावा डिक्री कराया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय में गैरसायलान ने जबाब पेश किया जिसमें मुख्य रुप से कथन किया कि उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 622/0.17 वाके कस्बा नगर था जो साबिक खसरा नम्बर 503, 504, 530, 505 से मिलकर बना है जो सिवायचक मकबूजा सरकार थी जिसमें से 0.03 हैक्टर भूमि न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई कैम्प नगर द्वारा मुकदमा उनवानी बुद्धिलाल बनाम तहसीलदार नगर द्वारा हमारे पिता बुद्धिलाल के नाम डिक्री से आई जिनकी मृत्यु के बाद हम गैरसायलान के नाम आई इसी प्रकार शेष 0.04 हैक्टर रकबा न्यायालय एस.डी.ओ. नगर द्वारा मुकदमा उनवानी जगदीश प्रसाद वगैरह बनाम राजस्थान सरकार वगै. मु.स. 168/07 डिक्री दिनांक 11.10.07 के द्वारा हमारे नाम हुई। इस प्रकार हम गैरसायलान खसरा नम्बर 622 रकबा 0.17 के 0.07 हिस्से पर काबिज चले आ रहे है। इसके बाद गैरसायलान ने 0.17 एयर में से 0.03 एयर रकबे का भू–रुपान्तरण भी दिनांक 28.01.2002 को नगर पालिका नगर द्वारा किया जा चुका है। इसी प्रकार अन्य लोगों मथूरी देवी, मनेन्द्र कुमार वगैरह को भी खसरा नम्बर 622/0.07 में से आबादी के पट्टे जारी किए गए हैं। इस प्रकार समस्त आराजी अन्दर आबादी है। उक्त रकबे पर 20 दुकानात व मकानात बने हुए हैं व निर्माण हो रखा है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

सायलान ने अपने दादा के उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 622/0.17 सम्पूर्ण पर डिक्लेरेशन का अनुतोष चाहा है जो गलत है, सायला का विवादित आराजी पर कब्जा ही नहीं रहा और ना ही आज है। सायला ने अपने बाबा पप्पू का अपूर्ण सजरा पेश किया है। सायला के बाबा मृतक पप्पू के दो पुत्र झम्मन व मिश्री थे जिनको सायला ने छुपाया है। प्रार्थना–पत्र सायला नोन जोइन्डर ऑफ नेसेसरीज पार्टीज के आधार पर खारिज योग्य है। सायला ने अपने बाबा पप्पू से उक्त रकबा अपने को आना बताया है, जबकि सायला ने अपने कथन व प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में कोई भी लिखित दस्तावेज वसीयतनामा, दानपत्र, बंटवारानामा पप्पू के अन्य वारिसान की सायला के भाई–बहिनों की सहमति वगै. कुछ भी पेश नहीं किया है। सायला के बाबा पप्पू का वर्तमान में कोई रकबा शेष नहीं रहा है क्योंकि साबिक खसरा नम्बर 503 में से 2 बीघा 17 बिस्वा सड़क अलवर–नगर में चला गया जिसका पप्पू ने पी. डब्लू.डी विभाग से मुआवजा भी लिया है। सायला ने पूर्व में हमारी भूमि स्थित बस स्टैण्ड के पीछे कस्बा नगर पर जबरन कब्जा कर लिया था जिस पर हमने सायला वगै. के विरुद्ध न्यायालय श्रीमान मुंसिफ साहब, नगर में दावा उनवानी बुद्धिलाल बनाम झम्मन वगै. 5/93 पेश किया जो न्यायालय द्वारा दिनांक 03.04.1997 को सायला हरदेई वगै. के विरुद्ध डिक्री हुआ जिसकी इजराय की कार्यवाही करने पर न्यायालय के नाजिर द्वारा हरदेई का पुलिस इमदाद से कब्जा हराया व हमे कब्जा दिलाया गया।

अधीनस्थ न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों घटकों प्रथम दृष्टया प्रकरण, अपूरणीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन पर विवेचन कर प्रार्थना–पत्र सायला अस्थायी निषेधाज्ञा का अन्तिम निस्तारण किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रथम दृष्टया प्रकरण में यह माना है कि हाल खसरा नम्बर 622/0.015 के बाबत नगर पालिका नगर द्वारा धारा 90 ए की कार्यवाही बाबत गैरसायलान के दस्तावेज पेश किए हैं, दिनांक 26.06.2013 को जारी लोक सूचना व भूमि अधिकारों और हित पर्यवसान की सूचना व अखबार साया भी हुआ है एवं सम्पूर्ण विधिक कार्यवाही होकर भूमि नगर पालिका के नाम दर्ज हुई है। साबिक ख.न. 503 में से 2 बीघा 17 बिस्वा सड़क अलवर–नगर में से कुछ रकबा अवाप्ति में चला गया जिसका पप्पू ने पी.डब्लू.डी से मुआवजा भी लिया है। नामान्तरकरण सं. 839 ग्राम कस्बा नगर से जरिये डिक्री खसरा नम्बर 622 में 0.03 रकबा बुद्धिलाल जाति ब्राह्मण के नाम दर्ज हुआ है, यह रकबा नगर पालिका नगर द्वारा किस्म परिवर्तन का दर्ज हुआ है जो जमाबन्दी सम्वत 2055–2058 से स्पष्ट है। सायला के बाबा श्री पप्पू द्वारा बयनामा दिनांक 26.08.1971 को खसरा नम्बर 503 में से 1–1$\frac{1}{2}$ बिस्वा का बेचान गैरसायल सं. 2,5,6 को कराया था। सायला के बाबा मृतक पप्पू के दो पुत्र झम्मन व मिश्री थे जबकि सायला द्वारा अलग पारिवारिक सजरा प्रस्तुत किया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मामला सायला के पक्ष में नहीं माना हैं जो पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजों, पारिवारिक सजरा, भूमि अवाप्ति होना एवं उसका मुआवजा सायला के बाबा द्वारा प्राप्त करना तथा केवल सायला अकेली द्वारा पप्पू के अन्य वारिसान को पक्षकार नहीं बनाते हुए घोषणा का दावा पेश किए जाने से सिद्ध होता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया मामला सायला के पक्ष में नहीं मानना विधि सम्मत है। साथ ही अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विस्तृत विवेचन किया गया है कि वादग्रस्त भूमि सायला के नाम दर्ज रिकार्ड नहीं होने के कारण अपूरणीय क्षति हाल में उत्पन्न होना का कोई कारण नहीं है। यहां पर यह भी उललेखनीय है कि वादग्रस्त भूमि रुपान्तरित हो चुकी है जिस पर मकानात, दुकानात भी निर्मित हो चुके हैं एवं गैरसायलान की खातेदारी में लम्बे समय से वादग्रस्त भूमि दर्ज रही है। अन्य गैरसायलान को सायला के बाबा पप्पू ने ही भूमि का बेचान किया है जिससे अपूरणीय क्षति के बिन्दु का भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रुप से विवेचन कर उसे सायला के पक्ष में नहीं मानना न्यायोचित है। जिससे

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

सुविधा का संतुलन भी सायला को न होकर गैरसायलान के पक्ष में होना जाहिर आता है क्योंकि वादग्रस्त भूमि लम्बे समय से उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं एवं उन्होंने उस भूमि को रुपान्तरित करवा कर मकान एवं दुकान भी निर्मित कर लिए है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश दिनांक 11.09.2024 को विधिसम्मत होने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

9. अतः उपर्युक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय दिनांक 11.09.2024 यथावत रखा जाता है।
10. निर्णय आज दिनांक 05.06.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।
11. आदेश की प्रमाणित प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रेषित की जावे।
12. पत्रावली में और कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली फैसलशुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर